राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 2188/ SEIAA/2022
Date: 30/11/22

प्रति,

श्री गणेश पाटीदार आत्मज श्री कन्हैयालाल पाटीदार
निवासी 697, ग्राम गवलीपलासिया, तहसील महु,
जिला इंदौर (म.प्र.)–453441

विषयः–प्रकरण क्र. **9225/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री गणेश पाटीदार आत्मज श्री कन्हैयालाल पाटीदार निवासी 697, ग्राम गवलीपलासिया, तहसील महु, जिला इंदौर (म.प्र.)–453441, द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10290 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.028 हेक्टेयर, खसरा 1304/1,1304/2, ग्राम गवलीपलासिया, तहसील महु जिला इंदौर (म.प्र.)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 757वीं बैठक दिनांक 18.11.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गयाः–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 593वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 748वी बैठक दिनांक 22.09..2022 द्वारा विस्तृत चर्चा, विचार विमर्श एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में परिलक्षित 03 खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक आकलित हो रहा है। यद्धपि जिला खनिज अधिकारी द्वारा एकल प्रमाण पत्र में 02 खदाने स्वीकृत होना बताया है जिनका कुल रकबा 3.552 हेक्टेयर उल्लेखित है। अतः प्रकरण में जिला कलेक्टर इन्दौर को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये कि खनिज एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित समस्त खदानों की वास्तविक जानकारी प्रस्तुत की जाये। जानकारी प्राप्त होने तक प्रकरण को डिलिस्ट निर्णित किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 31.10.2022 के साथ संलग्न जिला कलेक्टर इन्दौर का पत्र क्र. 1927 दिनांक 26.10.2022। उक्त पत्र में लेख किया गया है कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 खदाने स्वीकृत है जिनका कुल रकबा 3.552 हे. है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण को Relist करते हुये अग्रिम कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि इन्दौर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन होने के उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तबतक प्रकरण को पूर्व निर्णयुनसार **Delist** यथावत रखा जाये।*

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में प्रकरण को पूर्व निर्णयुनसार (Delist) यथावत रखा जाता है ।

o/c (मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 2189 /SEIAA/2022 दिनांक – 30/11/22

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला इंदौर (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला इंदौर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला इंदौर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

o/c (आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी